

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442 / 2004
संस्थान दिनांक 23.08.2004

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. काशीराम पिता बालाराम वर्मा, आयु 43 वर्ष
 2. सुनिताबाई पति काशीराम वर्मा, आयु 40 वर्ष
 3. विक्की पिता काशीराम वर्मा, आयु 30 वर्ष
- सभी निवासीगण- ग्राम रणगौव तलाईपुरा
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

//निर्णय //

(आज दिनांक 27.05.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 177 / 2007 अंतर्गत 294, 323, 324, 326, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 23.08.2004 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 29.07.2004 को समय रात्रि लगभग 8:00 बजे, ग्राम रणगौव तलाईपुरा दवाना में काशीराम एवं कालुराम के मकान के सामने फरियादी गजु व उसके काका की पुत्री रेखा अन्य पंचम दीपक व संतोष को माँ-बहन के व अन्य अपशब्द कहते हुए साशय अपमानित कर लोक शांति भंग करने या अन्य कोई अपराध कारित करने को साशय प्रकोपित करने, सह अभियुक्तों के साथ फरियादी गजु व उसके परिजन के साथ स्वैच्छयापूर्वक गंभीर उपहति कारित करने का चाकू जैसे काटने के घातक हथियार से उपहति कारित करने का सामान्य आशय करने जिससे अभियुक्त काशीराम ने घातक काटने के हथियार से उक्त गजु के दाहिने कान पर मारकर स्थायी विद्रूपण उत्पन्न कर स्वैच्छयापूर्वक गंभीर उपहति कारित करने, जबकि अभियुक्त सुनिता ने रेखाबाई को लात-मुक्कों से मारकर बाल पकड़कर खिंचकर, अभियुक्तगण विक्की व योगिता ने लकड़ियों से रेखा व गजु को स्वैच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित करने, काशीराम ने भी रेखा को लकड़ी से स्वैच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित करने तथा गजु को जान से

मार देने की धमकियाँ देकर साशय आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 504 व अभियुक्त काशीराम पर धारा 326 व 323 तथा शेष अभियुक्तों पर धारा 326/34 व 323 भा.द.सं. तथा 506 (बी) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण के अभियुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर इसी घटना के संबंध में फरियादी गजु तथा आहत साक्षी रेखाबाई तथा संजय, पंचम एवं संगीता के विरुद्ध थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 178/2004 काशीराम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 465/2004 न्यायालय में लंबित है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.2004 को रात्रि 8 बजे फरियादी गजु अपने काका तुकाराम के घर के बाहर खड़ा था, रात्रि में रेखाबाई, पंचम, दीपक एवं संतोष भी खड़े थे। अभियुक्त काशीराम ने उसे देखकर माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी थी, उसने गॉलिया देने से मना किया तो अभियुक्तों ने घर के बाहर आकर उसे और गॉलिया दी। अभियुक्त काशीराम दौड़कर आया और जेब से चाकु निकालकर गजानंद को मार दिया जो उसके दाहिने काम पर लगा व रक्त बहने लगा। अभियुक्ता सुनिता ने रेखा को लता-घुसों से मारपीट कर बाल पकड़कर खींचे। अभियुक्त काशीराम ने भी लात-घुसों से मारा। अभियुक्त विक्की एवं योगिता ने घर से लकड़ी लाकर रेखा एवं गजानंद के साथ मारपीट की। वहाँ खड़े पंचम, संतोष ने बीच-बचाव किया। काशीराम ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरियादी गजु द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 177/2004 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 504, 326, 326/34 व 323, 506 (बी) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 504 भा.द.सं. व अभियुक्त काशीराम के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 326, 323 तथा शेष सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 326/34, 323 धारा 506 (बी) भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है। अभियुक्त योगिता की तलातार अनुपस्थिति के कारण द.प्र.सं. की धारा 317 (2) के प्रावधान अनुसार उसका विचारण दिनांक 25.02.2015 को पृथक किया गया तथा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं —

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 29.07.2004 को समय रात्रि लगभग 8:00 बजे, ग्राम रणगौव तलाईपुरा दवाना में काशीराम एवं कालुराम के मकान के सामने फरियादी गजु व उसके काका की पुत्री रेखा अन्य पंचम दीपक व संतोष को माँ-बहन के व अन्य अपशब्द कहते हुए साशय अपमानित कर लोक शांति भंग करने या अन्य कोई अपराध कारित कर साशय प्रकोपित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सह अभियुक्तों के साथ फरियादी गजु व उसके परिजन के साथ स्वैच्छयापूर्वक गंभीर उपहति कारित करने का चाकू जैसे काटने के घातक हथियार से उपहति कारित करने का सामान्य आशय निमित्त किया जिससे अनुसरण में अभियुक्त काशीराम ने घातक काटने के हथियार से उक्त गजु के दाहिने कान पर मारकर स्थायी विद्रूपण उत्पन्न कर स्वैच्छयापूर्वक गंभीर उपहति कारित की ?

3. अभियुक्त सुनिता ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर रेखाबाई को लात-मुक्कों से मारकर बाल पकड़कर खिंचकर तथा अभियुक्तगण विक्की व योगिता ने लकड़ियों से रेखा व गजु को स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की तथा काशीराम ने भी रेखा को लकड़ी से स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित किया ?

4. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर गजु को जान से मार देने की धमकियाँ देकर साशय आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अनिल डोंगरे (अ.सा.1), डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.2), रेखा (अ.सा.3), संतोष (अ.सा.4), गजु (अ.सा.5), पंचम (अ.सा.6), सहायक उपनिरीक्षक बी.एस. बघेल (अ.सा.7), त्रिलोक (अ.सा.8), सालिकराम (अ.सा.9), सीताराम (अ.सा.10), प्रकाश (अ.सा.11) एवं तुलसीबाई (अ.सा.12) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी गजु अ.सा.5 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है। लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है। ग्राम दवाना में रात्रि 8:00-8:30 बजे का समय रहा होगा वह तुकाराम के घर पर खड़ा था। अभियुक्त काशीराम उसे माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दे रहा था। वह समझाने गया तो अभियुक्त काशीराम का पुत्र अभियुक्त विक्की एवं पुत्रिया भी आ गये थे तथा अभियुक्त काशीराम ने उसे चाकु मारकर उसका काट दिया था। उसका सीधा कान कटा था। (साक्षी ने अपने कथन के दौरान न्यायालय में अपना सीधा ऊपर से नीचे कटा हुआ कान दिखाया) साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त विक्की एवं काशीराम की पत्नी एवं उसकी पुत्री ने उसकी बहन रेखा के साथ मारपीट की तब संतोष एवं पंचम ने बीच-बचाव किया। उसने थाना ठीकरी पर रिपोर्ट की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसे पुलिस ने ईलाज के लिए अस्पताल भेजा था। साक्षी ने कहा कि वह अभियुक्त काशीराम की पत्नी एवं पुत्री को नाम से नहीं जानता है, चेहरे से पहचानता है। इस बिन्दु पर साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया। साक्षी ने बाद में उपस्थित अभियुक्त सुनिता को देखकर बताया कि वह अभियुक्त काशीराम की पत्नी है, जिसने उसके साथ मारपीट की थी। अभियुक्त काशीराम, सुनिता एवं विक्की की ओर से बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि साक्षी संजय, पंचम, संतीता एवं रेखा उसके रिश्तेदार हैं। वह अभियुक्तों को घटना के पूर्व से नहीं जानता है। वह अभियुक्त सुनिता का नाम भी नहीं जानता था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अभियुक्त सुनिता का नाम दर्ज है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को उसने, संगीता, पंचम संजय एवं रेखा ने अभियुक्तों के घर जाकर गाली-गलोच एवं मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने काशीराम के अंगुठे में दौत से काटा था अथवा अभियुक्त काशीराम को बचाने के लिए उसकी पत्नी एवं उसके बच्चे आये और हम सभी ने उसके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने भी उनके विरुद्ध रिपोर्ट की है, लेकिन साक्षी ने उक्त रिपोर्ट असत्य होना बताया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे होश नहीं था इसलिए रिपोर्ट रेखाबाई ने लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि वह भी उपस्थित था और उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि विवाद में गिर जाने के कारण उसे कान पर चोट आई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त काशीराम ने उसे कान पर चाकु मारा था और उसे चोट आई थी और उसका कान कटकर अलग हो गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों द्वारा की गई रिपोर्ट से बचने के लिए उनके विरुद्ध असत्य रिपोर्ट की है या वह असत्य कथन कर रहा है।

8. रेखाबाई अ.सा. 3 का कथन है कि गजु उसका भाई है। ढेड़ वर्ष पूर्व की बात है, शाम लगभग 7 बजे वह, गजु तथा घर के लोग ग्राम तलाईपुरा गाँव में अपने घर पर होकर खाना खाकर निकले थे, अभियुक्त काशीराम का घर उनके घर के बगल में है। काशीराम माँ-बहन की गॉलिया दे रहा था। गजु ने पूछा कि किसको गॉलिया दे रहा है, तब काशीराम ने आकर उसे पकड़ लिया और सड़क पर गिरा दिया, फिर सुनिता एवं विक्की दौड़कर आये और गजु को मारने लगे। वह बचाने गई तो सुनिता एवं विक्की ने उस पर हमला कर दिया। संगीता ने उसके बाल पकड़ लिये, विक्की ने उसे लकड़ी से मारा उसे हाथ, पीठ एवं सिर पर चोट आई थी जब सुनिता एवं विक्की उसे मार रहे थे तब काशीराम ने चाकु निकालकर गजु का कान काट दिया था, जिससे गुज का पुरा कान कट गया। काशीराम गजु का कान काटने के बाद घर के अंदर चला गया। उसके अतिरिक्त अन्य कोई बचाने नहीं गया। घटना उसके माता-पिता एवं मोहल्ले के व्यक्तियों ने देखी थी। अभियुक्तगण फरियादी गजु को नीचे गिराकर मार रहे थे, तब वह बीच-बचाव करने आई, जिसमें सुनिता एवं विक्की गजु के साथ मारपीट नहीं कर पाये थे। घटना के बाद वह एवं गजु थाना ठीकरी पर रिपोर्ट करने गये थे। पुलिस ने उसका एवं गजु का चिकित्सीय परीक्षण करवाया था। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। साक्षी ने नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शनी 6 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्तगण संजय का नाम लेकर गालिया दे रहे थे, गजु का नाम लेकर गालिया नहीं दे रहे थे और अभियुक्तों ने उसका नाम भी नहीं लिया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसके भाई संजय एवं पिता के नाम से गॉलिया दे रहे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय काशीराम के हाथ में चाकु नहीं था अथवा अमुक-झमुक में गजु के कान में चोट लगी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सुनिता ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे नहीं गिराया था, बल्कि जोर से बाल पकड़कर खींचे थे। उसने यह नहीं देखा कि बाल उखड़े थे या नहीं, लेकिन सिर में दर्द हो रहा था उसे चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना दिनांक को 7-8 बजे गजु, संगीता पंचम एवं संजय अभियुक्त काशीराम के घर गये और उनके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि गजु ने अभियुक्त काशीराम के अंगुठे पर काट लिया था। साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि जब काशीराम ने गजु को चाकु मारा, जब उससे बचने के लिए काशीराम का अंगुठा काट लिया। उसने थाने पर काशीराम के अंगुठे की चोट देखी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि काशीराम ने उसके विरुद्ध रिपोर्ट की है, जिसमें प्रकरण न्यायालय में चल रहा है लेकिन साक्षी ने उक्त रिपोर्ट को मिथ्या होना बताया है।

9. पंचम अ.सा. 6, ने भी गजु अ.सा. 5 तथा रेखा अ.सा. 3 के कथन का समर्थन करते हुए रात्रि 8:00-8:30 बजे अभियुक्त काशीराम द्वारा संजय को गॉलिया देने और गजु द्वारा अभियुक्त को समझाने का प्रयास करने पर अभियुक्त काशीराम द्वारा गजु पर हमला करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि काशीराम ने एकदम से गजु पर हमला कर दिया और उसका कान काट दिया। सुनिता ने रेखा को लात-घुसों से मारा और बाल पकड़कर खींच लिये थे। अभियुक्त विक्की ने रेखा को लकड़ी से मारा। फिर उसने संतोष एवं दीपक ने बीच-बचाव किया और गजु को अस्पताल लेकर गये। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि संजय उसकी बुआ का पुत्र है। फरियादी गजु संजय का भाई है। विवाद संजय के घर के सामने हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे विवाद का कारण नहीं मालूम। साक्षी ने स्वीकार किया कि विवाद के समय वह बाहर आंगन में था। वह विवाद के समय रिश्तेदारी में तुकाराम के यहाँ आया था जो उसके फुफाजी लगते हैं। विवाद काशीराम एवं गजु के मध्य हो रहा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वे लोग अभियुक्त काशीराम के घर गये और वहाँ उनके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने काशीराम एवं उसकी पत्नी को बेल्ट से मारा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि काशीराम ने थाना ठीकरी में संजय, गजानंद, संगीता एवं उसके विरुद्ध रिपोर्ट की थी, जो प्रकरण न्यायालय में लंबित है। साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि काशीराम ने रेखाबाई को लात-घुसों से और बाल पकड़कर घसीट-घसीट कर मारा था तथा बाल पकड़कर रेखाबाई को पटक दिया था। उक्त कथन स्वीकारोक्ति की श्रेणी में आता है। साक्षी ने रेखाबाई की पसली एवं पीठ पर मारपीट से चोंटे आना भी स्वीकार किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों द्वारा उनके विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट से बचने के लिए उन्होंने यह मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है।

10. सीताराम अ.सा.10 ने भी अभियुक्त विक्की एवं काशीराम द्वारा मदिरा पीकर गालिया देने तथा गजानंद के मना करने पर उसके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि गजानंद के साथ उसकी बहन रेखाबाई खड़ी थी, तब सुनिताबाई ने रेखा के बाल व घाघरा पकड़कर नीचे गिरा दिया था। काशीराम ने भी गजानंद को हाथ-मुक्कों से मारपीट की थी, जिससे गजु उर्फ गजानंद के कान से रक्त निकल रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी के कथनों में आये छोटे-छोटे विरोधाभास एवं विसंगति के संबंध में साक्षी से प्रश्न पूछे गये हैं लेकिन उक्त विरोधाभास एवं विसंगतियाँ इतनी तात्त्विक स्वरूप की नहीं हैं जिससे कि साक्षी का सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय हो जाये। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध भा.द.स. की धारा 307 का प्रकरण चला था, लेकिन उक्त प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुका था।

11. प्रकाश अ.सा. 11 ने अभियुक्तों द्वारा गजु एवं रेखाबाई के साथ बहस करने और अभियुक्त काशीराम द्वारा जेब से चाकु निकालकर गजु पर वार करने, जिससे गजु का बाया कान ऊपर से कट जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने छुड़वाया और रेखाबाई को भी सुनिताबाई से छुड़वाया था, फिर वे लोग घर चले गये थे। घटना के समय अभियुक्त काशीराम मदिरापान किये हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शनी 2 में गजु के दाहिने कान में चोट आने की बात लिखाई थी या नहीं उसे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि दाहिने या बायें कान में चोट आने की बात लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि काशीराम को भी चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि काशीराम की रिपोर्ट के आधार पर फरियादगण के विरुद्ध प्रकरण चल रहा है या नहीं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि काशीराम के पास चाकु नहीं था अथवा काशीराम ने चाकु से कोई वार नहीं किया।

12. संतोष अ.सा.4, त्रिलोक अ.सा. 8, सालीगराम अ.सा. 9, तुलसीबाई अ.सा. 12 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है। साक्षी संतोष अ.सा. 4 ने पुलिस को प्रदर्शनी 7 का कथन देने से इंकार किया है। त्रिलोक अ.सा. 8, सालीगराम अ.सा. 9 ने केवल अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जप्ती पंचनामें प्रदर्शनी 8 से 14 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। संभवतः उक्त साक्षीगण जानबूझकर अभियुक्तगण से हितबद्ध होने के कारण अभियोजन के पक्ष में कथन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साक्षियों का यह कथन नहीं है कि उन्होंने उक्त पंचनामों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि प्रकरण का आहत मुख्य साक्षी बाहर का निवासी है, जबकि अभियुक्तगण और उक्त साक्षी एक ही गाँव के निवासी हैं।

13. अनिल डोंगरे अ.सा. 1 का कथन है कि दिनांक 29.07.2004 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी गजु पिता मांगीलाल ने थाने पर आकर प्रदर्शनी 1 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत गजु एवं रेखाबाई को उपचार हेतु प्रदर्शनी 2 एवं 3 के प्रतिवेदन अनुसार ठीकरी अस्पताल भेजा था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गजु ने प्रदर्शनी 1 में यह नहीं बताया था कि रेखाबाई ने अभियुक्तगण ने शरीर के किन-किन भागों पर मारा था। रिपोर्ट के समय रेखाबाई फरियादी गजु के साथ थाने पर आई थी।

14. डॉ.आर.एस. तोमर अ.सा. 2 का कथन है दिनांक 29.07.2004 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना ठीकरी से आरक्षक थानसिंह द्वारा फरियादी गजु पिता मांगीलाल, आयु- 22 वर्ष, निवासी- दवाना को परीक्षण हेतु उसके पास लाया गया। उसने मेडिकल परीक्षण में पाया कि उसका दाहिना कान कटा हुआ था और कान का आधा भाग शरीर से अलग हो गया था। उक्त चोंटे किसी धारदार उपकरण से आई थी जो परीक्षण के 6 घंटे के भीतर होकर गंभीर प्रकृति की थी। उसने आहत को जिला चिकित्सालय बड़वानी रेफर किया था। इस साक्षी ने आहत रेखाबाई पति अनिल, आयु 25 वर्ष, निवासी-ग्राम दवाना का मेडिकल परीक्षण करने पर पीठ पर रगड़ के निशान 2X1 इंच सख्त अथवा बोथरी वस्तु से परीक्षण के 24 घंटे के भीतर साधारण प्रकृति की होना बताया। साक्षी ने अपना जॉच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 एवं 5 की प्रमाणित भी किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दाँतों से काटने से आई चोंटे गजु को आना संभव हैं। किसी नुकीले पतरे की धार की जगह पर गिरने से उक्त चोंटे आना संभव है तथा रेखाबाई को आई चोंटें भी गिरने से आना संभव हैं लेकिन बचाव पक्ष की ओर से गजानंद अ.सा. 5 को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसे दाँत के काटने से अथवा पतरे पर गिर जाने से उक्त चोंट आई थी। यहाँ तक कि गजु अ.सा. 5 ने गिर जाने से अपने कान में चोंट आने से भी इंकार किया है। ऐसी स्थिति में डॉ. आर.एस.तोमर अ.सा. 2 की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15. सहायक उपनिरीक्षक बी.एस.बघेल अ.सा. 7 का कथन है कि दिनांक 30.07.2004 को उसने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 177/2004 की विवेचना के दौरान रेखाबाई के बताये अनुसार नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। उसने अभियुक्त विक्की से एक बांस की लकड़ी प्रदर्शपी 13 के अनुसार जप्त की थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्त विक्की से लकड़ी जप्त नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गजु एवं संजय के विरुद्ध भी रिपोर्ट की गई थी जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने काशीराम से कोई चाकु जप्त नहीं किया था।

16. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के आहत साक्षी एवं चश्मदीद बताये गये साक्षीगण के विरुद्ध काउन्टर प्रकरण न्यायालय में लंबित है। चश्मदीद साक्षीगण फरियादी पक्ष के रिश्तेदार हैं और अभियोजन में हितबद्ध हैं। आहत रेखाबाई के साथ अभियुक्तों ने किस प्रकार से और किन-किन स्थानों पर मारपीट की इस संबंध में विरोधाभास है। घटना के समय अभियुक्त काशीराम द्वारा गजानंद को गालिया नहीं दी जा रही थी, इस

संबंध में स्वयं साक्षियों ने स्वीकारोक्ति की है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा फरियादीगण से विवाद प्रारम्भ नहीं किया गया बल्कि फरियादीगण ही अग्रेसर थे और उनके द्वारा विवाद प्रारम्भ किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।

17. यह सही है कि प्रकरण के फरियादीगण के विरुद्ध काउन्टर प्रकरण क्रमांक 465/2004 न्यायालय में लंबित है, लेकिन उक्त प्रकरण में इस प्रकरण के साक्षीगण गजानंद एवं पंचम के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 323, 323/34, 504, 506 भाग-1 का अपराध अभियुक्त काशीराम द्वारा थाना ठीकरी में दिनांक 29.07.2004 को रात्रि 11:25 बजे लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 178/2004 के आधार पर है। जबकि इस आपराधिक प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध भादस की धारा 326, 326/34, 323, 504, 506 भाग-2 का आरोप फरियादी गजु द्वारा दिनांक 29.07.2004 को रात्रि 9:15 बजे थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 177/2004 के आधार पर है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से गजु द्वारा लिखाई गई अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त काशीराम द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के पूर्व की है। दोनों ही आपराधिक प्रकरण में घटनास्थल एक ही है। अभियुक्त काशीराम द्वारा मारपीट के दौरान अपनी जेब से चाकु निकालकर गजु का दाहिना कान काटने के संबंध में गजानंद अ.सा. 5 तथा शेष चश्मदीद साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक है, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद गजानंद असा 5 ने थाना ठीकरी में दर्ज कराई गई जहाँ से उसे मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा गया और विशेषज्ञ चिकित्सक साक्षी डॉ. आर.एस.तोमर असा 2 ने गजानंद असा 5 के दाहिने कान का आधा कटा हुआ जो शरीर से अलग होना पाया है उक्त चोंटे 6 घंटे के भीतर गंभीर प्रकृति की होना बताया है तथा अपना जॉच प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है तथा रेखाबाई के पीठ पर रगड़ का निशान होना पाया था, जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है जहाँ तक साक्षियों के कथन में आये छोटे-मोटे विरोधाभास एवं विसंगतियाँ हैं वहाँ यह घटना वर्ष 2004 में घटित हुई तथा साक्षियों का परीक्षण लगभग 4 वर्ष पश्चात् न्यायालय में हुआ है। सभी साक्षीगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के कम शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में उनके कथन में आये विरोधाभास एवं विसंगति के आधार मात्र पर उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है साथ ही उक्त विरोधाभास ऐसे गंभीर स्वरूप के भी नहीं थे, जिससे अभियोजन का मामला दूषित हो जाये। यहाँ तक कि गजु अ.सा. 5 ने परीक्षण के दौरान न्यायालय द्वारा साक्षी का दाहिना कान कटा होने के संबंध में टीप भी अंकित की गई है।

18. शेष अभियुक्तगण सुनिताबाई, विक्की, काशीराम द्वारा रेखाबाई को बाल खीचकर और लात-घुसों और लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में भी अभियोजन की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। यद्यपि रेखाबाई को डॉक्टर आर.एस. तोमर ने रेखाबाई को एक ही चोट पीठ पर होना पाई गई, लेकिन साक्षी रेखाबाई के शीरर पर चोटें नहीं होने मात्र से अभियोजन कथा शंकास्पद नहीं हो सकती है क्योंकि भा.द.स. की धारा 323 को प्रमाणित करने के लिए घायल व्यक्ति को केवल चोटें पहुँचाई जाना पर्याप्त है और उक्त साधारण प्रकृति की चोट शरीर पर दृश्यमान हो यह आवश्यक नहीं है।

19. इस प्रकरण के फरियादीगण के विरुद्ध भी काउन्टर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन फरियादीगण के विरुद्ध केवल भा.द.स. की धारा 323, 323/34, 504, 506 भाग-2 के आरोप है, जिसकी तुलना में अभियुक्तों की तुलना में अत्यधिक गंभीर प्रकृति के भा.द.स. की धारा 326, 326/34 के आरोप है। फरियादीगण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के बाद इस प्रकरण की अभियुक्तों द्वारा फरियादीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि फरियादीगण गजु द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के पश्चात् अभियुक्त काशीराम ने उक्त रिपोर्ट अपने बचाव में दर्ज कराई है। चूँकि आहत गजु असा 5 को धारदार वस्तु चाकु से गंभीर प्रकृति की चोट आई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का उक्त कृत्य प्रावयेत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया ही प्रमाणित नहीं होता है।

20. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त काशीराम ने घटना दिनांक 29.07.2004 को रात्रि 8:00 बजे ग्राम रणगौव में गजु असा 5 को धारदार वस्तु काटने के उपकरण चाकु से उसके दाहिने कान पर मारकर उसका कान काटकर अलग कर उसे स्थाई रूप से विद्रूपित कर उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित की जो भा.द.स. की धारा 326 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त काशीराम पिता बालाराम को भादस की धारा 326 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

21. जहाँ तक शेष अभियुक्त सुनिताबाई और विक्की द्वारा गजु को उक्त घोर उपहति कारित करने में अभियुक्त काशीराम के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किये जाने का प्रश्न है वहाँ किसी भी अभियोजन साक्षियों का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त विक्की एवं सुनिताबाई ने अभियुक्त काशीराम से मिलकर गजु को धारदार उपकरण चाकु से मारपीट करने और उसे स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय मिलकर निर्मित किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त सुनिताबाई एवं विक्की के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 326/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त विक्की एवं सुनिताबाई को भा.द.स. की धारा 326/34 के अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. अभियोजन की साक्ष्य से आहत रेखाबाई को सुनिताबाई द्वारा बाल पकड़कर तथा लात-मुक्कों से तथा विक्की द्वारा सख्त अथवा बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट करने का अपराध प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त विक्की एवं सुनिताबाई को भा.द.स. की धारा 323 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है लेकिन अभियुक्त काशीराम द्वारा रेखाबाई के साथ मारपीट करने के संबंध में स्वयं रेखाबाई ने कोई कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त काशीराम के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 323 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त काशीराम को रेखाबाई के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए भादस की धारा 323 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 4 के संबंध में

23. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी गजु अ.सा.5 का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा उसे लोक शांति प्रकोपित करने के आशय से अश्लील शब्द कहे गये अथवा जिसे सुनकर उसे क्षोभ कारित हुआ। उक्त साक्षी या अन्य किसी साक्षी का यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा उन्हें जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 504 और 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धाराओं के अपराध से अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाता है।

24. चूंकि अभियुक्त काशीराम को आहत गजु के विरुद्ध किये गये भा.द.स. की धारा 326 तथा अभियुक्त विक्की एवं सुनिताबाई को भा.द.स. की धारा 323 के अपराध के लिए दोषसिद्ध घोषित किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त विक्की एवं सुनिता को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा भा.द.स. की धारा 326 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में परीविक्षा अधिनियम के प्रावधान अभियुक्त काशीराम के संबंध में लागू नहीं होते हैं। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:

25. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका निवेदन है कि अभियुक्तगण लंबे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं तथा एक ही परिवार के सदस्य हैं। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

26. यह सही है कि अभियुक्तगण लंबे समय से विचारण का सामना कर रहे हैं लेकिन अभियुक्तगण के एक परिवार की सदस्य योगिता की अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में विलंब कारित हुआ है। ऐसी स्थिति में मात्र विलंब के आधार पर अभियुक्तगण सहानुभूति के पात्र प्रतीत नहीं होते हैं। अतः न्यायालय अभियुक्त सुनिता एवं विक्की को आहत रेखाबाई के विरुद्ध किये गये भा.द.स. की धारा 323 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 1000/—, 1000/— रुपये (अक्षरी एक-एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त विक्की एवं सुनिताबाई 1-1 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे। अभियुक्तगण विक्की एवं सुनिताबाई के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर उसमें से 1000/— रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये आहत रेखाबाई को प्रतिकर स्वरूप 357 द.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार प्रदान किये जाये।

27. अभियुक्त काशीराम को भा.द.स. की धारा 326 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपये 5000/— (अक्षरी पाँच हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त काशीराम 1 वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतेंगे। अभियुक्त काशीराम द्वारा निरोध में बिताई गई कारावास की सजा दी गई सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्त काशीराम के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त काशीराम द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा करने पर उसमें से 3000/— रुपये (अक्षरी तीन हजार रुपये मात्र) आहत गजानंद को प्रतिकर स्वरूप 357 द.प्र.सं. के प्रावधान अनुसार प्रदान किये जाये।

28. अभियुक्तों के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये।

29. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तों को अविलंब निःशुल्क दी जाये।

30. प्रकरण में अभियुक्ता योगिता के संबंध में विचारण शेष है। अतः प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2004 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध काशीराम आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- काशीराम पिता बालाराम वर्मा, आयु 43 वर्ष
निवासी— ग्राम रणगौव तलाईपुरा
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 09.08.2004

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त ने दिनांक 09.08.2004 से दिनांक 18.08.2004 तक कुल 09 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

/// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ///

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2004 (शासन पुलिस ठीकरी विरुद्ध काशीराम आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- विक्की पिता काशीराम वर्मा, आयु 30 वर्ष
निवासी- ग्राम रणगौव तलाईपुरा
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 09.08.2004

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त ने निरंक दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

